

अति महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल-1/एफ. 45 /2013/ 755

भोपाल दिनांक 25/07/2013

प्रति,


समस्त,
संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

विषय :- स्टॉफ नर्स के पद पर नवनियुक्त होने वाले कर्मचारी की परीवीक्षा अवधि के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय स्तर से जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण छात्राओं को स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु आपके अधिनस्थ आवंटित किया जाता है। जिसके पालन में आपके द्वारा उन्हें नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं। किन्तु नियुक्ति आदेश में परीवीक्षा अवधि की स्पष्टता न होने के कारण छात्राओं के नियुक्ति पत्र में पृथक-पृथक परीवीक्षा अवधि होने से कर्मचारी मानसिक/आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना कर संचालनालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 का नियम 8 के तहत तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जाने का प्रावधान है। अतः शासन निर्देश के पालन में नियमानुसार 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों की परीवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से कर संचालनालय को अवगत करावें।


संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश।
25/7/13

पृ0क0 9/नर्सिंग/सेल-1/एफ. 29/2013

भोपाल दिनांक / /2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमति रेखा परमार प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन प्रधान कार्यालय 22/1, जे.ए.एच. ग्वालियर म.प्र.।
3. **भारतीय एम0आई0एच0स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रता रित करने का कष्ट करें।**

संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश।